समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 . /2018 निगरानी निगरानी-3512/2018/टीकमगढ़/भू.25

श्रीमती जलेवा कुअंर पत्नि अमान सिंह ठाकुर निवासी नचनवारा तहसील व जिला टीकमगढ म.प्र.

.............आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि० 7-6-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14-6-18 नियत।

7-6-18

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

काशीराम तनय कमतुआ कुशवाह निवासी नचनवारा तहसील व जिला टीकमगढ म.प्र.

....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अतर्गत धारा 50 के तहत म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण क 168/अ–70/2016–2017 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20.2.2018 के विरूद्ध ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि प्रकरण के संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत किया तहसीलदार समर्रा द्वारा आवेदक के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही करते हुये विधि के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया जिस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील क 124/15–16 प्रस्तुत की गई जिस अपील को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुण दोषो पर निराकरण किये बगैर मनमाने पूर्ण तरीके से विलम्ब के आधार पर खारिज कर दी गई जिस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष अपील क 168/अ–70/16–17 प्रस्तुत की गई जिस अपील को भी सरसरी तौर पर आदेश दिनांक 20.2.2018 से निरस्त कर दी गई जिससे दुखित होकर यह निगरानी सादर प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(2)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3512/2018/टीकमगढ़/भू.रा. जलेवा कुअंर विरूद्ध काशीराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-06-2018	आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-02-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार के अभिलेख का अवलोकन कर पाया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील समय सीमा के बाहर आकर की गई है । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में जो आदेश पारित किया है वह भू.राजस्व संहिता एवं परिसीमा अधिनियम के तहत आदेश पारित किया गया है । दिनांक 01-12-2016 को दिया गया स्थगन आदेश भी निरस्त किया गया । अतः अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 29/6	